न्यायालय अरिस्टेन्ट कलक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी, सदर, फिरोजाबाद।

वाद संख्या [illegible] / 2012 13 धारा 143 ज0वि0 अधिनियम

सतीश चन्द्र आदि

बनाम

उ0प्र0 सरकार

मौजा– आसफाबाद तहसील व जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

सतीश चन्द्र व सुभाष चन्द्र व राहुल पुत्रगण ऊदल सिंह व श्रीमती मायादेवी पत्नी ऊदल सिंह व ऊदल सिंह महाविद्यालाय आसफाबाद द्वारा सचिव प्रबन्धक सतीश दिवाकर पुत्र ऊदल सिंह नि0 मौ0 गांधीनगर तहसील व जिला फिरोजाबाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित किया गया है कि प्रार्थी मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकवा 0.400 है0 लगानी 12.60 रू0 सालाना भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है। उक्त आराजी को आवादी प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार सदर से करायी गई। तहसीलदार सदर फिरोजाबाद द्वारा मौके की जॉच कर अपनी आख्या निर्धारित प्रारूप पर मय नक्शा नजरी न्यायालय को उपलब्ध करायी गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकवा 0.400 है0 लगानी 12.60 रू0 सालाना भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है। ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादीगण को सुना एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फिरोजाबाद की आख्या से स्पष्ट हैं कि मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकवा 0.400 है0 लगानी 12.60 रू0 सालाना भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि से भिन्न है। अतः उक्त आराजी को ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी मौजा आसफाबाद स्थित खाता संख्या 160 के गाटा संख्या 41/1 रकवा 0.400 है0 लगानी 12.60 रू0 सालाना भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त की जाती है। नक्शा नजरी आदेश का भाग रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित करें तथा एक प्रति उप निबन्धक फिरोजाबाद को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक अनुपालन दाखिल दफतर की जायें।

दिनांक:

(सतीश पाल)
असि0कलैक्टर प्रथम श्रेणी /
उप जिलाधिकारी.सदर,
फिरोजाबाद।

NOTARY

Attested

सचिव
श्री उदल सिंह शिक्षा समिति
38 गाँधी नगर फिरोजाबाद

NOTARIAL NOTARIAL